रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 512] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 25, 2006/कार्तिक 3, 1928
No. 512] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 25, 2006/KARTIKA 3, 1928

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 661(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 38ड की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (छ त्त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और सदस्य सचिव की वेतन, भत्ते और नियुक्ति की अन्य शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (वेतन, भत्ते और नियुक्ति की अन्य शर्तें) नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "अध्यक्ष" से व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ग) "निधि" से धारा 38 थ की उपधारा (2) के अधीन गठित व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण निधि अभिप्रेत है ;

(घ) "सदस्य" से व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है ;

(ङ) "सदस्य सचिव" से व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;

(च) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;

(छ) "व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण" से धारा 38 ठ के अधीन गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ज) "उपाध्यक्ष" से व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

3. **अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के यात्रा और अन्य भत्ते** : (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के कार्यों के संबंध में उनके द्वारा की गई यात्राओं के संबंध में यात्रा भत्ते और दैनिक भत्तों, जो क्रमशः संघ के मंत्री, संघ के राज्य मंत्री और भारत सरकार के सचिव को अनुज्ञेय दर से प्राप्त करने के हकदार होंगे ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, जो कोई संसद् सदस्य है, यथास्थिति, संसद् (निर्रहता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के उपखंड (क) में परिभाषित भत्तों से भिन्न कोई पारिश्रमिक प्राप्त का हकदार नहीं होगा या अन्य भत्तों, यदि कोई हों, उपगत करता है, तो ऐसा निर्रहता से बाहर होगा ।

4. **व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पुनर्गठन पर सदस्य सचिव की नियुक्ति** : (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पुनर्गठन पर सदस्य सचिव की नियुक्ति करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी कर्तव्यों का अनुपालन करेगा जो उसे अधिनियम के अधीन उसे समनुदेशित की गई है और प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित की गई हो ।

(2) किसी व्यक्ति को सदस्य-सचिव के रूप में नियुक्त होने के लिए वह वन्य महानिरीक्षक या भारतीय वन सेवा में समतुल्य रैंक का अधिकारी होगा, जो वन आरक्षिती या वन्यजीव प्रबंधन में कम से कम दस वर्ष का अनुभव रखता हो ।

5. **सदस्य-सचिव की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें** : व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का सदस्य-सचिव अधिनियम की धारा 38ढ की उपधारा (1) के परंतुक के उपबंधों के अधीन होगा, 18,400-500-22,400रु. वेतनमान का वेतन का हकदार होगा और ऐसे भत्तों, छुट्टी, भविष्यनिधि, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभों, सरकारी आवास और चिकित्सा सुविधाओं, जो तत्समान वेतनमान के समूह 'क' के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को तत्समय अनुज्ञेय हों, का भी हकदार होगा ।

[फा. सं. 6(4)/2005-पीटी]
डा. राजेश गोपाल, वन महानिरीक्षक और सदस्य-सचिव
(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2006

G.S.R. 661(E).—In exercise of the powers conferred by clause (gii) of sub-section (1) of section 63 read with sub-section (4) of section 38M of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules regulating the salaries, allowances and other conditions of appointment of the Chairperson, the Vice-Chairperson, Member and Member-Secretary of the National Tiger Conservation Authority, namely:-

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the National Tiger Conservation Authority (Salaries, Allowances and other Conditions of Appointment) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.– In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Tiger Conservation Authority;
(c) "Fund" means the Tiger Conservation Authority Fund constituted under sub-section (2) of section 38Q;
(d) "member" means a member of the Tiger Conservation Authority;
(e) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority;
(f) "section" means section of the Act;
(g) "Tiger Conservation Authority" means the National Tiger Conservation Authority constituted under section 38L;
(h) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Tiger Conservation Authority.

3. Travelling and other allowances to the Chairperson, Vice-Chairperson and members.– (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and members shall be entitled to travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed by them in connection with the work of the Tiger Conservation Authority at the rates as are admissible to a Union Minister, Union Ministers of State and a Secretary to the Government of India respectively.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Chairperson or any other member, who is a Member of Parliament, shall not be entitled to any remuneration other than the allowances, defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or as the case may be, other than the allowances, if any, receive without incurring such disqualification.

4. Appointment of Member-Secretary on re-constitution of the Tiger Conservation Authority.– (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, appoint a Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority on its re-constitution, who shall exercise such powers and perform such duties as are assigned to him under the Act and those assigned by the Authority.

(2) A person to be appointed as Member-Secretary shall be an Inspector General of Forests or an Officer of equivalent rank in the Indian Forest Service, having at least ten years experience in a tiger reserve or wildlife management.

5. Terms and other conditions of service of Member-Secretary.– The Member-Secretary of the Tiger Conservation Authority, subject to the provisions contained in the proviso to sub-section (1) of section 38N of the Act, shall be entitled to the salary in the pay scale of rupees 18400-500-22400/- and shall also be entitled to such allowances, leave, provident fund, pension and other retirement benefits, official accommodation and medical facilities as are for the time being admissible to the officers of the Central Government belonging to Group 'A' of the corresponding scale of pay.

[F. No. 6(4)/2005-PT]

Dr. RAJESH GOPAL, Inspector General of Forests & Member-Secy.
(National Tiger Conservation Authority)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2006

सा.का.नि. 662(अ).—केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 63 की उपधारा (1) के खंड (छझ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के विशेषज्ञों और वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव विनिर्दिष्ट करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (विशेषज्ञों या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव) नियम, 2006 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं** : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों, -

(क) "अधिनियम" से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अभिप्रेत है ;

(ख) "विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य" से अधिनियम की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन नियुक्ति व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(ग) "व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 38ठ के अधीन गठित राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

3. विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्यों की अर्हताएं और अनुभव,--

(1) कोई व्यक्ति, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने का तभी पात्र होगा, यदि वह निम्नलिखित अर्हताएं रखता हो--

(क) (i) उसने किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान में स्नातकोत्तर डिग्री या समतुल्य में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा किया हो ;

(ii) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी अथवा स्थापत्यकला में स्नातकस्तर की उपाधि हो ; या

(iii) उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समतुल्य हो ; या

(iv) वह चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान या लागत तथा संकर्म लेखाकार संस्थान या कंपनी सचिव संस्थान या अथवा बीमांकक संस्थान का अध्येता हो ; या

(v) उसके पास विश्वविद्यालय की कोई डिग्री है और उसने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा स्थापित या मान्यताप्राप्त किसी अकादमी में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया हो ; और

(ख) उसके पास वन्य संरक्षण और व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के कल्याण का पन्द्रह वर्ष का अनुभव हो ; संबंधित विधा में दस वर्ष के सुसंगत अनुभव के साथ डाक्टर की उपाधि हो ।

(2) ऐसे किसी व्यक्ति पर, जो अधिमानतः सत्तर वर्ष से कम आयु का है, विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा ।

(3) विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्यों की पात्रता का अवधारण, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में चयन के लिए उनके प्रवर्ग और पात्रता का मूल्यांकन इन नियमों से उपाबद्ध सारणी और परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा ।

4. विशेषज्ञ या वृत्तिक (गैर सरकारी सदस्य) के रूप में सेवा की शर्तें :-

गैर सरकारी सदस्यों की दशा में व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी :

(i) व्यष्टिक हैसियत में सेवा करने वाले गैर सरकारी सदस्य, अपने संस्थांगत या संगठनात्मक संबंधन को विचार में लाए बिना व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण में केवल वृत्तिक या विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सेवा कर सकेंगे ;

(ii) अन्य सभी शर्त (iii) और शर्त (iv) में वर्णित संस्थानों या संगठनों के प्रतिनिधियों के रूप में सेवा करेंगे ;

(iii) ऐसे वृत्तिकों वाला कोई स्वैच्छिक संगठन, जो विशिष्ट रूप से अलाभ के आधार पर पहले से, सतत विकास संबंधी विषयों पर समुदाय, अन्य संगठनों या सरकारी अभिकरणों को विभिन्न सेवाएं, जिसके अंतर्गत अनुसंधान भी है, प्रदान करने में लगा हुआ है ।

(iv) किसी ऐसे स्वैच्छिक संगठन से, जो पहले से संबंधित क्षेत्र में सतत विकास संबंधी विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगा हुआ है, कुछ वृत्तिक संबंधी कार्यों की अपेक्षा की जा सकेगी या अपेक्षा नहीं की जा सकेगी ।

स्पष्टीकरण-- इन नियमों के प्रयोजन के लिए "गैर सरकारी" एक ऐसा व्यक्ति है जो वर्तमान में किसी भी स्तर पर (केन्द्रीय, राज्य या स्थानीय स्तर) किसी सरकारी पद का, चाहे वह सिविल या न्यायिक सेवा में हों अथवा किसी पद के लिए निर्वाचित हो, (विश्वविद्यालयों या स्वायत्त संस्थाओं में संकाय पद धारण करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) धारक नहीं है ।

5. विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य की पदावधि- कोई विशेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और उसकी पदावधि व्याघ्र संरक्षम प्राधिकरण की अवधि तक सह-विस्तारी होगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु कोई भी सदस्य उस रूप में लगातार दो अवधियों से अनधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेगा ।

6. वित्तीय या अन्य हितों की घोषणा-- प्रत्येक व्यक्ति, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के विसेषज्ञ या वृत्तिक सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति पर इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप I में यह घोषणा करेगा कि उसका ऐसा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है जिससे प्राधिकरण के सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो ।

7. किसी सदस्य को प्राधिकरण से अस्थायी रूप से विवर्जित करना या उसे हटाना--यदि व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का कोई गैर सरकारी सदस्य अधिवेश में बाधाएं डालता है या सार्वजनिक कथनों अथवा ऐसी अन्य कार्रवाईयों द्वारा प्राधिकरण के अधिवेशनों को विफल करने या उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में बाधा डालने का प्रयास करता है उसे प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के अधिवेशनों में हाजिर होने से विवर्जित कर दिया जाएगा और बार-बार ऐसा व्यवहार किए जाने की दशा में वह प्राधिकरण के सदस्य के पद से हटाए जाने का दायी होगा :

परंतु सदस्य के रूप में ऐसे हटाए जाने के पूर्व उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा ।

[फा. सं. 6(4)/2005-पीटी]

डा. राजेश गोपाल, वन महानिरीक्षक और सदस्य-सचिव

(राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण)

3395 GI/06-2

प्ररूप - I
(नियम 6 देखें)

कोई प्रतिकूल वित्तीय या अन्य हित के अर्जन के विरुद्ध घोषणा

मैं,....., राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि मेरा कोई वित्तीय या अन्य हित नहीं है और ऐसा कोई हित प्राप्त करने की दशा में, जिससे राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के सदस्य के रूप में मेरे कार्य करने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, मैं ऐसे हित के अर्जन के बारे में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण को सूचित करूंगा ।

स्थान :

तारीख :

(सदस्य का नाम)
राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण

राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (रा.व्या.सं.प्रा.) के गैर-सरकारी, विशेषज्ञ या वृत्तिकों की नियुक्ति के लिए कार्यवाही शीट

1. चालू अवधि के अवसान की तारीख :

2. प्राधिकरण की अवधि : तीन वर्ष

3. अधिसूचित संरचना, पदेन और शासकीय सदस्यों को छोड़कर :

आठ विशेषज्ञ या वृत्तिक जिनके पास वन्यजीव संरक्षण और व्याघ्र आरक्षिति में निवास कर रहे व्यक्तियों के कल्याण में विहित अर्हताएं और अनुभव है जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति जनजातीय विकास क्षेत्र से होंगे ।

सारणी 1 : राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (पदेन और शासकीय सदस्यों को छोड़कर) की अधिसूचित संरचना

संरचना निकाय का प्रकार (विनिश्चय करना)	विशेषज्ञों /वृत्तिकों की संख्या		लोक प्रतिनिधि	वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन	क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन
	क्षेत्र	संख्या			

सारणी 2 : "वृत्तिक"/ "विशेषज्ञ के रूप में पात्रता का अवधारण"

नाम	क्षेत्र, जिसके लिए विचार किया गया है ।		क्षेत्र में की उच्चतम अर्हताएं		उस क्षेत्र में का अनुभव, जिसके लिए विचार किया गया है	क्या वह "वृत्तिक" का मानदंड पूरा करती है/करता है । (क्षेत्र में के आधारभूत विहित अर्हता)	क्या वह "विशेषज्ञ" का मानदंड पूरा करती है/ करता है ? (अर्थात् आधारभूत विहित अर्हता +उस क्षेत्र में 15 वर्ष का अनुभव या उच्चतर अर्हता+ उस क्षेत्र में 10 वर्ष)
	प्राथमिक दक्षता (संलग्न उपाबंध देखिए)	गौण दक्षता (संलग्न उपाबंध देखिए)	डिग्री या विहित अर्हता (अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का डिप्लोमा)	विश्वविद्यालय या वृत्तिक निकाय अर्थात् इंजीनियरी संस्थान			

सारणी 3 : गैरसरकारी प्रवर्ग का अवधारण

नाम	किस हैसियत में सेवा कर रहा है ?		क्या वृत्तिक/ विशेषज्ञ का मानदंड पूरा कर करता है ? (हां/नहीं)	क्या लोक प्रतिनिधि के मानदंड पूरा कर करता है ? (हां/नहीं)	क्या "वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन का मानदंड पूरा कर करता है ? (हां/नहीं)	क्या " क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन का मापदंड करता है ? (हां/नहीं)
	व्यष्टिक	किसी संस्था/ संगठन का प्रतिनिधित्व				

सारणी 4 : निकाय में सेवा करने की पात्रता की पुष्टि :

नाम	प्रवर्ग (अर्थात् वृत्तिक/ विशेषज्ञ, लोक प्रतिनिधि दैनिक क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन, क्षेत्र वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन.)	में पात्रता, आयु के संबंध (हां/नहीं)		विश्राम अवधि के संबंध में पात्रता	परस्पर विरोधी हितों के संबंध में पात्रता (हां/नहीं)	सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत से असंसक्तता के संबंध में पात्रता (हां/नहीं) : यदि नहीं तो उदाहरण	पात्र है या नहीं ? (पात्रता के सभी मानदंड पूरे होने चाहिए अर्थात् "हां" प्रत्येक दशा में)
		आयु	क्या 70 वर्ष से-है ?				

सारणी 5 : गैर सरकारी अभ्यर्थियों की संक्षिप्त सूची : विनिश्चयकर्ता निकाय

संरचना / निकाय का प्रकार	विशेषज्ञ/ वृत्तिक		लोक प्रतिनिधि का नाम (के नाम)	वृत्तिक स्वैच्छिक संगठन का नाम (के नाम)	क्षेत्रीय स्वैच्छिक संगठन का नाम (के नाम)
विनिश्चयकर्ता निकाय	क्षेत्र	नाम			

परिशिष्ट

अनुज्ञेय प्राथमिक और गौण कुशलता के संयोजनों की मेट्रिक्स

प्राथमिक कुशलता	वन्य जीव प्रबंध	प्राणी विज्ञान	वनस्पति विज्ञान	पारिस्थितिकी विज्ञान	अनुवांशिकी	पशुपालन	पशु चिकित्सा	कृषि विज्ञान	मानव शास्त्र	समाज शास्त्र	पर्यावरण विज्ञान	अर्थ शास्त्र	भू-विज्ञान	मानव पारिस्थिकी विज्ञान	जैव रसायन	जैव प्रौद्योगिकी	वन विज्ञान	विधि	सूचना प्रौद्योगिकी (कंप्यूटर अनुप्रयोग / जीआईएस / आरएस	विष विज्ञान	इंजीनियरी	सांख्यिकी	इतिहास
गौण कुशलता																							
मानवीय आयाम (ग्राम स्थानांतरण परिस्थितिक विकास	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
पर्यावास पुनःउद्धार	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
पशु संख्या प्रबंध	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं

जैव विविधता/ वन्यजीव पारिस्थितिक / प्रबंध/ संरक्षण	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
वन प्रबंध	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
मानव वन्यजीव संघर्ष	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
अवैध शिकार और वन्यजीव व्यापार	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
भूदृश्य आयोजन	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
नीति	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
पशु रोग प्रबंधन	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
वाटरशेड प्रबंधन	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
एनटीएफपी	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं
इमारती लकड़ी उत्पाद	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
आर्द्र भूमि प्रबंध	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं
पर्यावरणीय इतिहास	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां
पर्यावरणीय इतिहास	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
कृषि ग्राम प्रबंध	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां
पारि-पर्यटन	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
प्रकृति व्याख्या और विस्तार	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं
प्रदूषण नियंत्रण	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं
खनिज अन्वेषण	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां
वन्यजीव अनुसंधान	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
मृदा संरक्षण	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	हां

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2006

G.S.R. 662(E).—In exercise of the powers conferred by clause (gi) of sub-section (1) of section 63 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following rules specifying the qualifications and experience of experts or professional members of the National Tiger Conservation Authority, to be appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 38L, namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the National Tiger Conservation Authority (Qualifications and Experience of Experts or Professional Members) Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972);
(b) "expert or professional member' means a member of the Tiger Conservation Authority, appointed under clause (d) of sub-section (2) of section 38L of the Act;
(c) "Tiger Conservation Authority" means the National Tiger Conservation Authority constituted under section 38L of the Act.

3. Qualifications and experience for expert or professional members.-

(1) A person shall be eligible to be appointed to the Tiger Conservation Authority as an expert or professional member, if the following qualifications are met -

(a) (i) having completed a five years course leading to a masters degree in arts or science of a recognised University or equivalent; or
(ii) having graduate level degree in engineering or technology or architecture, from a recognised Institute or University; or
(iii) having degree in law from a recognised University or equivalent; or
(iv) a fellow of the Institute of Chartered Accountants or Cost and Works Accountants or Company Secretaries, or Actuaries; or
(v) having a University degree and successfully completed the training in an academy established or recognised by the Department of Personnel and Training; and

(b) having fifteen years of experience in conservation of wildlife and welfare of people living in tiger reserve; or having a doctoral degree in concerned discipline with at least ten years of relevant experience.

(2) A person preferably below the age of seventy years shall be considered for appointment as an expert or professional member.

(3) The determination of eligibility of expert or professional members, their category and evaluation of eligibility and experience for selection in the Tiger Conservation Authority shall be made in accordance with the Tables and Appendix annexed to these rules.

4. Conditions for serving as an expert or professional (non-official members).-

The following conditions for serving as an expert or professional member in the Tiger Conservation Authority shall apply in the case of non-official members :

(i) Non-official members serving in individual capacity, irrespective of their institutional or organisational affiliation, may only serve as professional or expert member in the Tiger Conservation Authority;

(ii) All others shall serve as representatives of institutions or organisations described in conditions (iii) and (iv).

(iii) A Voluntary Organization having professionals, who are primarily engaged in providing, typically on non-profit basis, various services, including research, to the community, other institutions, or Government agencies, on sustainable development matters.

(iv) A Voluntary Organization which is primarily engaged in the implementation of various sustainable development programs in the field, may or may not requiring some professional inputs.

Explanation. – For the purpose of these rules, "non-official" is a person who is presently not a holder of a Government post at any level (Central, State or Local level), whether in civil or judicial service or elected to any office (excluding persons holding faculty positions in Universities or autonomous institutions).

5. Tenure of expert or professional member.– An expert or professional member shall hold office for a period of three years, and his term of office shall be coterminus with the term of the Tiger Conservation Authority, and he shall be eligible for re-appointment :

Provided that no member shall hold office as such for more than two consecutive terms.

6. Declaration of financial or other interest.– Every person, on his appointment as the expert or professional member of the Tiger Conservation Authority shall give a declaration in Form-I annexed to these rules, that he does not have any financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member of the Authority.

7. Debarring a member temporarily or his removal from Authority.– If a non official member of the Tiger Conservation Authority obstructs the meeting, or attempts through public statements or such other actions to frustrate the meetings or in achieving the objectives of the Authority, he shall be temporarily debarred by the Chairperson of the Authority from attending the meetings of the Authority and in case of such recurring behaviour, he shall be liable to be removed as a member of the Authority:

Provided that before such removal, as a member he shall be given a reasonable opportunity of being heard.

[F. No. 6(4)/2005-PT]

Dr. RAJESH GOPAL, Inspector General of Forests & Member-Secy.
(National Tiger Conservation Authority)

FORM-I
(see rule 6)

Declaration against acquisition of any adverse financial or other interest

I, _____, having been appointed as the member of the National Tiger Conservation Authority, do solemnly affirm and declare that I do not have, any financial or other interest, and in case of gaining any such interest, which is likely to affect prejudicially my functioning as the member of the National Tiger Conservation Authority, I shall inform the National Tiger Conservation Authority about the acquisition of such interest.

Place:
Dated:

(NAME OF THE MEMBER)
National Tiger Conservation Authority

3395 GI/06-4

Processing Sheet for Appointment of Non-Official, Experts or Professionals to the National Tiger Conservation Authority (NTCA)

1. **Date of Expiry of Current Term:**

2. **Term of the Authority: Three years**

3. **Notified Composition, Excluding Ex-officio and Official Members:**

Eight experts or professionals having prescribed qualifications and experience in conservation of wildlife and welfare of people living in tiger reserve out of which at least two shall be from the field of tribal development.

Table 1: Notified Composition for NTCA (Excluding Ex-officio and Official Members)

Composition Type of Body (Decision making)	No. of Experts/ Professionals		Public Representatives	Professional VOs*	Field VOs*
	Field	No. of			

*Voluntary Organisations

Table 2: Determining Eligibility as "Professional"/"Expert":

Name	Field for which considered		Highest Qualifications In the Field		Years of Experience in the Field for which considered	Does he/she meet criteria of "Professional"? (Basic prescribed qualification in the field)	Does he/she meet criteria of "Expert"? (i.e. Basic prescribed qualification + 15 years experience in the field or higher qualification + 10 years in the field)
	Primary Skill (see attached Annexure	Secondary Skill (see attached Annexure	Degree or prescribed qualification (e.g. Diploma of Indira Gandhi National Forest Academy)	University or Professional Body, e.g. Institute of Engineers)			

Table 3: Determining Category of Non-Official:

Name	Serving in which capacity?		Whether meets criteria for Professional/ Expert? (from Table 2) (Y/N)	Whether meets criteria for Public Rep? (Y/N)	Whether meets criteria for "Proff. VO*"? (Y/N)	Whether meets criteria for "Field VO*"? (Y/N)
	Individual	Representing an institution /organization				

Table 4: Confirming Eligibility to serve in the Body:

Name	Category (i.e. Professional/Expert, Public Representative, Professional VO*, Field VO*)	Eligibility Reg. Age (Y/N)		Eligibility reg. Cooling Off (Y/N)	Eligibility reg. Conflict of Interest (Y/N)	Eligibility reg. non-adherence To Principle of Collective Responsibility (Y/N): If N, cite specific instance(s)	Whether Eligible or Not? (All eligibility criteria must be met, i.e. "Y" in each case)
		Age	Whether < 70 years?				

Table 5: Short List of Candidate Non-Officials: Decision Making Body:

Composition / Type of Body	Experts/ Professionals		Public Reps Name(s)	Professional VOs* Name(s)	Field VOs* Name(s)
	Field	Name(s)			
Decision making body					

*Voluntary Organisations

APPENDIX

Matrix of permissible primary and secondary skill combinations

Primary Skill / Secondary Skill	Wildlife Manage-ment	Zoology	Botany	Ecological Science	Genetics	Animal Husbandary	Veterin-ary	Agriculture Science	Anthropolo-gy	Sociology	Environ-mental Science	Economics	Geology	Human Ecology	Biochemistry	Bio-Technology	Forestry	Law	Information Technology (Com Application/ GIS/RS)	Toxicology	Engineering	Statistics	History
Human dimension (Village Translocation Ecodevelop)	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y
Habitat Restoration	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Animal Population Management	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	N
Biodiversity /Wildlife Ecology/ Manage/Cons.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Forest Management	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Human-Wildlife Conflict	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Poaching & Wildlife Trade	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N
E.I.A.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Landscape Planning	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N
Policy	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y
Animal Disease Management	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N
Watershed Management	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N

3395 GI/06—5

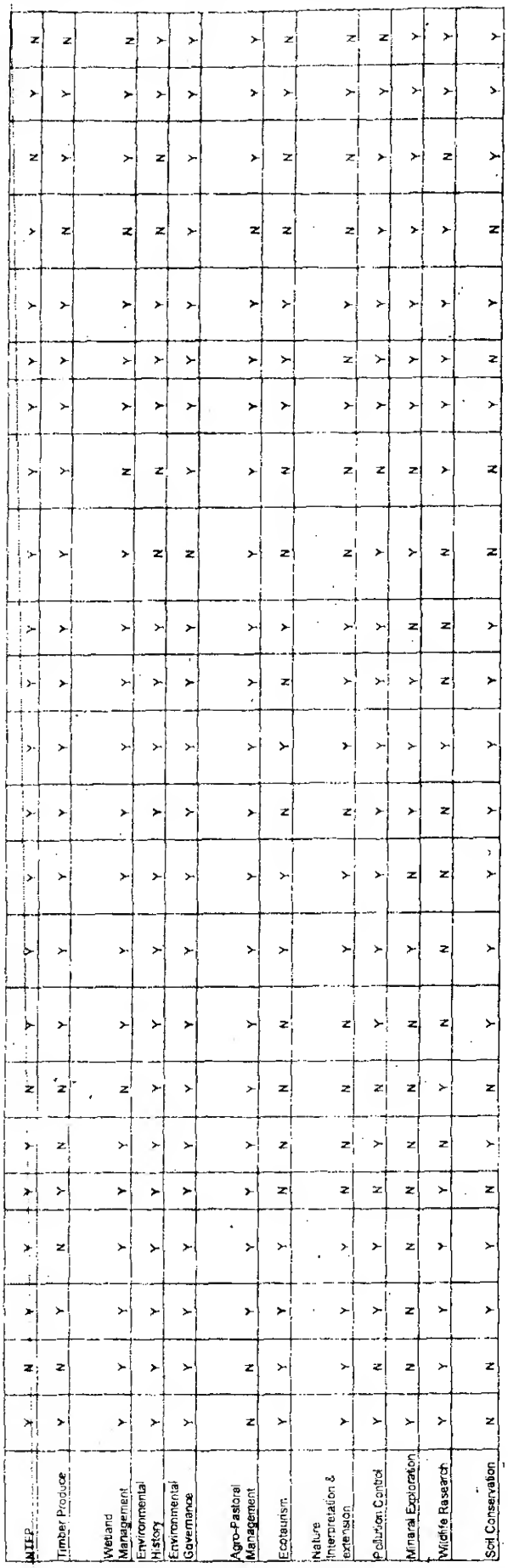

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.